

SESSION

2015-16



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

E-Mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

Phone:- 07774-222789,90

Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

..... Dr. Day Tiwari

..... Dr. P. K. Mishra

..... Dr. P. K. Mishra

परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक ...E-05/16... की ...255... उत्तरपुस्तिकाओं के
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल संलग्न-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।

पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।

प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रासाकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ ज्ञात हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रासाक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।

तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।

प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।

पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे। मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा

ता है।

अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।

समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।

किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



.....
कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

1113

2015-16

C-01

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

05 JAN 2016

अनुक्रमांक..... कोड नं. E-105

सेवा में,

Dr. Prem Lata EKKA
Dept. of Economics
LICHT. R.M.D. Girls College,
Ambikapur (C.G.)

महोदय/महोदया

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2016..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्मेय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
 - परीक्षा का नाम B: A- Part - III
 - विषय का नाम Economics
 - प्रश्नपत्र Paper - I Development and Environmental Economics
 - समय-तीन घण्टे
 - पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
- (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)



02/05/2016

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.प्र.)

Mail ID - registrarsua@yahoo.co.in

(0-9) विज्ञान (संघ) अधिसूचना 18/2008 का संघिन

Phone 07774 222789,90

Fax 07774 222791

परीक्षक का नियुक्त पत्र
(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

11/2/2016
DEAR Sir,
GATE CELLER SILLHU (SILHU) PRA...

परीक्षक महोदय,

अनुसूचित विषय में आपको कोड क्रमांक की उत्तरपुस्तिकाओं के
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक
साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं
के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाया प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल
अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ देने पर जमा भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र संश्लेषण का
लिफाफे अलग से परस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस
तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का अर्थ निम्नानुसार है

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister,
Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक
रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पर के
साथ वापस करने की कार्यवाही करें।

पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक
देयक का भुगतान किया जावेगा।

प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रामाणिकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक
ही बण्डल में बांध कर भेजवाये/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक
तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने
पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों
को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रामाणिक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।

तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।

प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों की टाबेकट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।

पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया
स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा पैर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयानधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा
ता है।

अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग
से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।

समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।

किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-88364 में विशेष चर्चाव्यय अधिकारी
(गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.प्र.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोड नं. F-57

सेवा में,

Mrs. Anjana
Dep. of English
Govt. College, Silphili

महोदय/महोदया

Dist. Surgajpur E.S.

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2016..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्णय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
 - परीक्षा का नाम B.A. Part-II Examination - 2016
 - विषय का नाम F.C. English Language
 - प्रश्नपत्र Second
 - समय-तीन घण्टे ✓
 - पूर्णांक 75.....न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
- (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न है। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)



प्राश्निकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बतें-

- (क) प्रश्नपत्रों में शीर्ष टिप्पणियाँ तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधा जनक न हो ।
- (ख) कोई प्रश्न निहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो ।
- (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंको का योग पूर्णांक के बराबर हो ।
- (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दें ।

प्रश्नपत्र दिनांक ... 01.11.2018 ... मुझे अवश्य मिल जाय । कृपया वाहक को देने की कृपा करें ।

यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें ।

The term close relation includes wife, husband, son, daughter, grandson, grand daughter, brother, niece, grandnephew, grandniece, aunt, first cousin, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law etc.

प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिवत सील बन्द किया जाय । जो प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।

यदि आप नियमानुसार प्रश्नपत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें । यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त करें ।

स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा ।

आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यन्त गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय

Signature
कुलसचिव

संलग्न सामग्री

1. प्राश्निक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी ।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होंगी) प्रत्येक पर्णावली में 1" क " पन्ना " ख " पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र ।
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाणपत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज(भाषा एवं गणित के प्राश्निकों के लिए)
9. प्रश्नपत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक ।

नोट -

1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें ।
2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राश्निक को प्रश्नपत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है । अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें ।
3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी ।
4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाइल नं. ... 9907179779 में सम्पर्क करें ।





सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

03 JUN 2016

अनुक्रमांक.....कोड नं. E-306

सेवा में,

Ku. Shalini Shanti Kujur
Dept. of B.A. & B.Com.
Host. College, Siphili

महोदय/महोदया

Dist. Surgapur (C.G.)

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2015..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है।
निर्मेय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम B.Com. Part: II Examination 2016
(ख) विषय का नाम Environmental Studies
(ग) प्रश्नपत्र
(घ) समय-तीन घण्टे 1.5
(ङ.) पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
- (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक है। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)



SESSION

2016-17



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID:- registrar@uaj.ac.in

Phone:- 07774-222700,00

Fax:- 07774-222701

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

.....
 As. Ajay Mishra
 Asstt. Professor Hindi
 Govt. College
 RAMANUJ NAGAR SHILPHILI (C.U.)

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक F-19819 की 390 उत्तरपुस्तिकाओं के One
 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।
 उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
 The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कूलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।

पावती

1. उपरोक्त कोड के F-19819 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल (सील) कूलसचिव/सम्बन्धक
2. कोड के F-19819 के FOIL/COUNTER प्रिंटेड की सीलड लिफाफा
3. REIMBURSEMENT BILL का लिफाफा





सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राशनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक..... कोड नं. F-461

सेवा में,

उम्मीदगी प्रेमलता एकका
सहायक, पाठ्यक्रम आर्थशास्त्र
शासकीय राजमोहिनी दली कला महाविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

1 सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2017 की परीक्षा के प्राशनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है।
निम्न प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।

(क) परीक्षा का नाम आशास्त्री आग लीन पुरक परीक्षा 2017
(ख) विषय का नाम वैकल्पिक "छ" का विषय: आधुनिक अधशास्त्र
(ग) प्रश्नपत्र आदर्श पाठ्यक्रम
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 100 न्यूनतम उत्तीर्णांक 33

2. (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशनिक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक है। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पुरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।

3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।

4. परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।

5. भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।

6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)



24/04/2017



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID: registrarsua@yahoo.co.in

Phone: 07774 222789,90

Fax: 07774 222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

.....
.....
.....

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक 43/114 की 357 उत्तरपुस्तिकाओं के 022 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
2. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
3. पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
4. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रासांकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवाये/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रासांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
7. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
8. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
9. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
10. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
11. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
12. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
13. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



mehs.
कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

2016-17

C-01

पौष्पिक

प्राशिनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय 07774-222790
निवास 07774-231973
फैक्स 07774-222790

प्रेषक

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोड नं. F-273.

सेवा में,

Smt. Arundhati
Dept. of English
Govt. College, Sarguja

महोदय/महोदया

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2017..... की परीक्षा के प्राशिनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्मेय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम B.T.A. Part-II
(ख) विषय का नाम English Language
(ग) प्रश्नपत्र English Language
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
- (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशिनिक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(कृ.प.उ.)

7. प्राश्निकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बतें-
- (क) प्रश्नपत्रों में शीर्ष टिप्पणियों तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधाजनक न हो।
- (ख) कोई प्रश्न निहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
- (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
- (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दें।
8. प्रश्नपत्र दिनांकतक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।
9. यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।
- The term close relation includes wife, husband, son, daughter, grandson, grand daughter, brother, niece, grandnephew, grandniece, aunt, first cousin, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law etc.
10. प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिवत सील बन्द किया जाय। जो प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. यदि आप नियमानुसार प्रश्नपत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि सन्देहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त करें लें।
12. स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।
13. आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय

कुलसचिव

संलग्न सामग्री

1. प्राश्निक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होगी) प्रत्येक पर्णावली में 1" क " पन्ना " ख " पन्ने होंगे
5. स्वीकृति पत्र।
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाणपत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राश्निकों के लिए)
9. प्रश्नपत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

- नोट -
1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।
 2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राश्निक को प्रश्नपत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है। अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।
 3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
 4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाइल नं.में सम्पर्क करें।





सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
E-Mail:- registrarsua@yahoo.in Phone:- 07774-2227790, Fax:- 2227791

सं.मांक 22092/अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016

अम्बिकापुर, दिनांक 09/2016

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर में जीवन विज्ञान संकायांतर्गत वनस्पतिशास्त्र विषय के विषय अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के नामों को कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) श्रीमती जीरेन ज्योति गुप्ता
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय राजगोहिणी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्री शिवाकान्त मिश्र आजाद
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी
जिला-नोरिया (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य को कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्रीमती अन्नगोरी खलखो
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) कुमारी शालिनी शांता कुजूर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली
जिला-रूरजपुर (छ.ग.)



(पाच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

- (1) डॉ. रिजवान उल्ला
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) डॉ. भंतोष कुमार सिन्हा
प्राचार्य
कै. आर. टेक्निकल कालेज, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी :
नियुक्ति बाद में की जावेगी।

(सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :
सहयोजन बाद में किया जावेगा।

28(3) के अन्तर्गत आ द्वारा श्रीमती जीरेन ज्योति गुप्ता, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,
जिला - सरगुजा (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष
नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही इस अधिसूचना
प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

(विनोद कुमार एन्का)

कुलसचिव

प्रकाशन दिनांक 29/8 अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016 अम्बिकापुर, दिनांक 23/9/2016

प्रतिलिपि एक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को ओर अग्रेषित -

- (1) कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनाथ प्राप्त।
- (2) संकाय पदा, विज्ञान संकाय।
- (3) संवीध: सदस्यगण।
- (4) प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
- (5) सहसंचालक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- (6) कार्यवाही नरती।

ARUNAM

(डी. पी. एस. तिवारी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)





संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित
E-mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Dr. Amit Singh Banafu
Department of Botany
Govt. College
Siuphu

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक..... H-0115..... की 256..... उत्तरपुस्तिकाओं के 01..... बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
2. The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
3. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
4. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
5. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
6. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांको को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आबंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
8. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
9. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
10. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
11. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
12. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
13. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
14. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
15. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।

meht
कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.) 13/4/2017



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



CODE No. P- BOT-05

To:

Registrar
Sarguja University
Ambikapur (C.G.)

Is:

Smt. Shalini Shanta Kujur
Department of Botany
Govt. College
Silphuli

Date 23-01-2017

No. 625/Conf./Pract./2017

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical Viva-Voce Examination 2017 in Botany at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part Two	Govt. Raj Mohini Devi Girl's P.G. College, Ambikapur	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed upto 28th February, 2017

Your's Faithfully

Registrar


Date 23-01-2017

Encl. No. Conf./Pract./2017

1. Copy forwarded to:-
2. The Principal, Govt. Raj Mohini Devi Girl's P.G. College, Ambikapur for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination. Also the practical marks should be sent to University latest by 02nd March, 2017.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. Bill with Certificate.
3. Envelopes for sending Foils / Counter Foils of Marks.


OSD (Conf.)



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



From :

Registrar
Sarguja University
Ambikapur (C.G.)

CODE No. P-ZOO-07

To,

Shir. Amit Banafar
Department of Zoology
Govt. College Silphili
Surajpur

No. 8674/Conf./Pract./2016

Date: 29.1.17

30.1.17

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2016 in Zoology at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part One	Holy Cross Women's College, Ambikapur	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed upto 28th February, 2017

Your's Faithfully


Registrar


Date:

Entd. No. /Conf./Pract./2016

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Holy Cross Women's College, Ambikapur for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination. Also the practical marks should be sent to University latest by 02nd March, 2017.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
3. Envelopes for sending Foils / Counter Foils of Marks.


OSD (Conf.)



Scanned by CamScanner



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
email:- registrarsua@yahoo.in

Phone:- 07774-2227790, Fax:- 222790

क्रमांक 3127/अकादमिक/अध्ययन बोर्ड/2016

अम्बिकापुर, दिनांक 7/10/2016

बैठक सूचना

आदेशानुसार जीवन विज्ञान संकायान्तर्गत प्राणिशास्त्र विषय के अध्ययन बोर्ड की बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में शनिवार दिनांक 17.10.2016 समय 12.00 बजे मध्याह्न में आयोजित की जाती है।

सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

विषय सूची

- (1) अधिनियम की धारा 28 (2) (सात) के तहत दो सदस्यों का सहयोजन करना।
- (2) सम्बन्धित विषय के केन्द्रीय अध्ययन मण्डल में विचारार्थ पाठ्यक्रमों में संशोधन/परिवर्धन किये जाने वाले प्रस्ताव तैयार करना।
- (3) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

(विनोद कुमार एक्का)
कुलसचिव

क्रमांक 3128/अकादमिक/अध्ययन बोर्ड/2016 अम्बिकापुर,

दिनांक 7/10/2016

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित की ओर अग्रहित -
कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निज सहायक, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
श्रीमती जेरमिना तिकी, (अध्यक्ष, अध्ययन मंडल) सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
श्रीमती ज्योति तिकी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर नगर जिला-जशपुर (छ.ग.)।
श्री अमित सिंह वनाफर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)।
कुमारी दीपिका मिंज, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी महाविद्यालय, बगीचा जिला-जशपुर (छ.ग.)।
डॉ. अजीत कुमार हुण्डेत, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
डॉ. अतुल कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-वित्त-विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
कार्यालयीन नस्ती।

Dr. P. S. Tiwari

(डी.पी.एस. तिवारी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(अकादमिक)



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



From :

Registrar
Sarguja University
Ambikapur (C.G.)

CODE No. P- P-MZL-1

To,

Shri. Amit Singh Banafar
Department of Zoology
Govt. College
silphili

No. 1009 /Conf./Pract./2017

Date: 6.2.2017


Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2017 in Zoology at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
M.Sc. Final	Shri Sai Baba Aadarsh Mahavidyalaya, Ambikapur	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed upto 28th February, 2017

Your's Faithfully


Registrar


Entd. No. /Conf./Pract./2017

Date: 2017

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Shri Sai Baba Aadarsh Mahavidyalaya, Ambikapur for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination. Also the practical marks should be sent to University latest by 02nd March, 2017.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
3. Envelopes for sending Foils / Counter Foils of Marks.


OSD (Conf.)



Scanned by CamScanner



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)
E-Mail:- registrarsua@yahoo.in Phone:- 07774-2227790, Fax:- 222791

क्रमांक २११६/अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016

अम्बिकापुर, दिनांक 23/09/2016

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर में जीवन विज्ञान संकायांतर्गत प्राणिशास्त्र विषय के लिये अध्ययन बोर्ड का गठन (समीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्रीमती जेरमिना तिकी

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्रीमती ज्योति तिकी

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जशपुर नगर जिला-जशपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) श्री अमित सिंह बनाफर

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलाकिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कुमारी दीपिका मिश्र

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय संत रामेश्वर महिषा गुरु जी महाविद्यालय, बगीचा
जिला-जशपुर (छ.ग.)



SESSION

2017-18

2017-18



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in

Phone:- 07774-222789,90

.Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

.....Shri. Ajay Kumar Tiwari.....
Asst. Prof.....
Govt. College, Sihli.....

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक(G-5.1/04)..... की300..... उत्तरपुस्तिकाओं केO.J. Bundle..... बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
2. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
3. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
4. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रामाणिकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ ज्ञांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रामाणिक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
7. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
8. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचिन साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
9. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बटल होने की दृशा में परीक्षक स्वतः त्रिप्पेदार होंगे।
10. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
1. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
2. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
3. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
 सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

2017/18



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

2017-2018

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 10/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID:- registrarsun@yahoo.co.in

Phono:- 07774-222780,00

Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्त पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Ku Shalini Shanta Kujur
Deptt of Botany
Govt College, Salfia

प्रिय परीक्षक महोदय,

अर्जुन विषय में आपको कोड क्रमांक F-183/12 ति 193 उत्तरपुस्तिकाओं के 02
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक
समय सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं
के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल
अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का
बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ ज्ञांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों का मूल्यांकन के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकांशतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



Mehra
कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

27/04/2018

2017-18



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.ग.)

(उ.ग.) विश्वविद्यालय (अम्बिकापुर), जी.पिन-181008 द्वारा स्थापित।

E-Mail ID: registrarsua@yahoo.co.in

Phone: 01774 222789/90

Fax: 01774 222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Smt. Anjana
Deptt. of English
Govt. College, Silkhiti

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक D-434/0 की 05 उत्तरपुस्तिकाओं के 01 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं एक साथ साथ दिवस के अन्दर आवश्यक रूप में विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर सट्ट भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उस तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) सलम करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जाचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. नैयाग किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर UFM लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यापक द्वारा नियंत्रित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्व अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.ग.)



सर्वज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

संस्कृत एवं प्राचीन साहित्य के लिए प्रवेशिका

कृपाय कृपाय विश्वविद्यालय
कार्यालय 01174 222190
निवास 01174 231973
फैक्स 01174 222190

सेवा में,

कृतसोचन

सर्वज्ञान विश्वविद्यालय,

अम्बिकापुर (छ.ग.)

सेवा में,

संस्कृतमात्र

कोड नं

श्रीमती राजेश्वरी
राजेश्वरी देवी
राजेश्वरी देवी
महोदय/महोदया

1. सूचित करते हुए हमें है कि आप इस विश्वविद्यालय की मग 2012 की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्भय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम B.Sc. Home Science II
(ख) विषय का नाम F.C. English
(ग) प्रश्नपत्र
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
2. (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समयतः संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
4. परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
5. भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपट्टे (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर पृष्ठे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीयुक्त डाक से कुलपति, सर्वज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न है। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.3.)



7 प्राश्निकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बतें-

- (क) प्रश्नपत्रों में शार्प टिप्पणियाँ तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधा जनक न हो।
 (ख) कोई प्रश्न विहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
 (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
 (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दे।

8 प्रश्नपत्र दिनांकतक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।

9 यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपकी प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त सलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।

The term close relation includes wife, husband, son, daughter, grandson, grand daughter, brother, niece, grandnephew, grandniece, aunt, first cousin, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law etc.

10 प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिबद्ध सील बन्द किया जाय। जो प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

11 यदि आप नियमानुसार प्रश्नपत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त सलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त करें।

12 स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।

13 आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यन्त गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा करें पते पर करें।

भवदीय

Mehra
कुलसचिव

सलग्न सामग्री

1. प्राश्निक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होंगी) प्रत्येक पर्णावली में 1" क " पन्ना " ख " पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र।
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाणपत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राश्निकों के लिए)
9. प्रश्नपत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

नोट - 1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।

2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राश्निक को प्रश्नपत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है। अतः सलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।

3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।

4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाइल नं.में सम्पर्क करें।





संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित
E_mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

प्रति,

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

Dr. Anant Singh Barabar
Dept of Zoology
Govt College
Silphili

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक J-6536 की 27 उत्तरपुस्तिकाओं के 03K बण्डल/पैकेट/लिफ्टफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफ्टफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हों। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
 2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
 4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फ्रेटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
 5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तकों को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफ्टफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
 6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जानचे हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आबंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तकों केन्द्वार अन्त में अंकित करें।
 7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
 8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
 9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
 10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफ्टफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
 11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समायावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
 12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
 13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



meht 21/4/2018
कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राशनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक: सरगुजा विश्वविद्यालय

कार्यालय : 07774-222790

निवास : 07774-231973

फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव

सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक

कोड नं. 0-184

सेवा में,

Dr. Shalini Shanta Kujur
Department of Botany
Govt. College, Sulpili

1. सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2018 की परीक्षा के प्राशनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।

निम्न प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।

(क) परीक्षा का नाम B.Sc. Part - I Main Examination - 2018

(ख) विषय का नाम Botany

(ग) प्रश्नपत्र Second: Cell Biology and Genetics

(घ) समय-तीन घण्टे

(ङ) पूर्णांक 50 न्यूनतम उत्तीर्णांक 17

2. (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशनिक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर सार्थक पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।

3. नियुक्ति पत्र प्रासि के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुमोदित करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।

4. परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्नपत्र हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्दों के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायेंगे।

5. भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।

6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लौकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न है। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)



प्रमाणित है कि
उसके द्वारा आ
नया पर उसके द्वारा धा

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 4 / 2018

क्रमांक 1545 / 315 / आउशि / समन्वय / 2018:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजमवन के पत्र क्रमांक एफ 14-11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धरपाली 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धारामा



अपेक्षित व
नया उच्च के शिक्षा
विभाग पर उच्च के शिक्षा

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ. एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह बनावर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ. एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक 11/11/2018

पृ.क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राशिनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

C-01

गोपनीय

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

अनुक्रमांक.....कोड नं. J- 6532

सेवा में,

Shri Amit Barmar
DEPT of Zoology
G.M.H. College Sirpur
Dist. Surgapur (C.G.)

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2018..... की परीक्षा के प्राशिनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम M.S.L. III Semester Examinations-2018
(ख) विषय का नाम Zoology
(ग) प्रश्न पत्र Developmental Biology
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 70 न्यूनतम उत्तीर्णांक.....
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशिनिक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपडे (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



From:

Registrar
Sarguja Vishwavidyalaya,
Ambikapur (C.G.) 497001

CODE No. Z-P-052

To,

Mr. Amit Singh Banarfor
Asstt. Professor
Deptt. of Zoology
Govt. College,
Silphili (C.G.)

No. 827/Conf./Pract./2018

Date: 17.03.2018

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2018 in Zoology at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part-I,II,III	Govt. Rewati Raman Mishra College, Surajpur (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 1.04.2018 - 15.05.2018

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

A. Chandra
Registrar

Date: 17.03.2018

Entd. No. /Conf./Pract./2018

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Rewati Raman Mishra College, Surajpur (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.

OSD (Confidential)



Scanned by CamScanner

CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



From:

Registrar
Sarguja Vishwavidyalaya,
Ambikapur (C.G.) 497001

CODE No. Z-P-007

To,

Mr. Amit Singh Banarfer
Asstt. Professor
Deptt. of Zoology
Govt. College, Silphilli,
Surajpur (C.G.)

No. 737 /Conf./Pract./2018

Date: 17.03.2018

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2018 in Zoology at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:


Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part-I,II,III	Govt. Science College, Ambikapur (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 1.04.2018 - 15.05.2018

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully


Registrar

Date: 17.03.2018

Encl. No. /Conf./Pract./2018

1. Copy forwarded to
2. The Principal, Govt. Science College, Ambikapur (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
- Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.

OSD (Confidential)



SESSION

2018-19

SANT GAHRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)



CODE No. P-PS-07

From:

Registrar
Sant Gahra Guru Vishwavidyalaya,
Sarguja (C.G.) 497001

To:

Shri B.K. Tripathi
Dept. of Political Science
Govt. College, Shulphili
Dist. Surguja (C.G.)

Date: 19.07.2019

No. 8041 /Conf./Pract./2019

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2019 in Dissertation/ at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
M.A. Political Science IV Semester	Govt. Shyama Prasad Mukherjee College, Sitapur Dist. Surguja (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 25.07.2019

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

[Signature]
Registrar 19-7-19

Date: 19.07.2019

Encl. No. /Conf./Pract./2019

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Shyama Prasad Mukherjee College, Sitapur Dist. Surguja (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuner. for Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Folds/Counter Folds of Marks.

OSD (Confidential)



2018 - 2019

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19
गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Mr. Ajay Ku. Tiwari
Department of Hindi
Govt. College
Silphiti

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक..... H-02/13..... की 350 उत्तरपुस्तिकाओं के 01 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हों। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांको को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आबटित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिममेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

2019



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अभिकापुर (स.ग.)

C-19

गोपनीय

(स.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित

E-mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, 90 Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Shri Sandeep Kumar Soni
Dept of Geography
Govt. Naveen College
SILPHIL Dole - Saraguja (C.G.)

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक 4-10/13 की 60 उत्तरपुस्तिकाओं के 01 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें एक साथ मान टियस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम च पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग तो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
2. The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
3. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
4. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
5. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की गयी (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
6. प्रत्येक केंद्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तकों को अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम च पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकायें जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन वक्त केंद्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केंद्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आवंटित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तकों केन्द्रीय अन्त में अंकित करें।
8. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
9. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुव्याज्य अक्षरों में अंकित करें।
10. प्रत्येक केंद्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को प्राकट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
11. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिसंगत ढंग पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
12. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि सफा तौर से बांधा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
13. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट तम से अन्दर ऊपर U.F.M लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
14. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा निर्धारित होगी।
15. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अभिकापुर (स.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 10/2008 द्वारा स्थापित)
E-Mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in

Phone:- 07774-222709,90

Fax:- 07774-222701

परीक्षक का नियुक्ति पत्र (उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Smt. Shalini Shanta Kujur
Asstt. Prof. Balaram
Govt. College, Saphili

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक E.184/0 की 246 उत्तरपुस्तिकाओं के 02 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.
- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
- पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
- प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तियों का अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवाने/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक अंकित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तिक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
- तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
- प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
- पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
- अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
- समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

18-19

C-01

गोपनीय

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोड नं. H-1220

सेवा में,

.....Mr. B. L. Kanwar.....
.....Department of Commerce.....
.....Gore College.....
.....Silpheli.....

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्णय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नामM. Com (Previous/Final) main Examination, 20.....
(ख) विषय का नामCommerce.....
(ग) प्रश्न पत्रPaper: III Group: A International Market.....
(घ) समय-तीन घण्टे.....
(ङ) पूर्णांक10.....न्यूनतम उत्तीर्णांक.....3.6.....
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक है। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)



From:

CODE No. P-MC-06

Registrar
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,
Sarguja (C.G.) 497001

To,

Shri Bharat Lal Kanwar
Asstt. Professor Commerce
Govt. College, Silphili
Dist. Surajpur (C.G.)

No. 7846/Conf./Pract./2019

Date: 11.07.2019

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2019 in Dissertation at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
M.Com. IV Semester	Govt. Lahiri College, Chirmiri Dist. Korea (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 20.07.2019

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

Mehra
Registrar

Entd. No. /Conf./Pract./2019

Date: 11.07.2019

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Lahiri College, Chirmiri Dist. Korea (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.



OSD (Confidential)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
E-Mail:- registrar@sua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक- 1880/परीक्षा/ई-08/2019

अम्बिकापुर, दिनांक. 17/09/2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा 2019 को सुचारु रूप से संचालन किये जाने तथा परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था पर सतत निगरानी/निरीक्षण एवं नकल की रोकथाम किये जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक-05 की कण्डिका-07 (1) के प्रावधानानुसार उद्घनदस्ता दल का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

विश्वविद्यालय उद्घनदस्ता दल

01.	डॉ प्रदीप एक्का सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	समन्वयक
02	श्री सुनील केरकेट्टा सहायक प्राध्यापक, भूगर्भ शास्त्र राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	सदस्य
03	डॉ. प्रेमलता एक्का सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, सिलिफिली	सदस्य

उद्घनदस्ता दल को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे तथा माननीय कुलपति जी, कुलसचिव के दिशा निर्देशन पर कार्य करेंगे तथा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। उद्घनदस्ता दल शाम को प्रतिदिन की रिपोर्ट कुलसचिव के पास प्रस्तुत करेंगे।

सदस्यों को मुख्यालय से बाहर जाने पर नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

पू. क्रमांक- 1881/परीक्षा/ई-08/2019
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक. 17/09/2019

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, जिला-सरगुजा, सूरजपुर, कौरिया, जशपुर, बलरामपुर।
3. संचालक, विद्यार्थी कल्याण, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
5. उद्घनदस्ता दल के समस्त समन्वयक/सदस्यों।
6. प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, समस्त विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा केन्द्र।
7. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गोपनीय/परीक्षा/वित्त विभाग/जन सम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर।
8. कार्यालयीन नरती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित।



सहायक कुलसचिव (परीक्षा)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(१० ग. विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail:- registrarsua@yahoo.co.in

Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक- 692 / परीक्षा / ई-08 / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक, 12/03/2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा 2019 के सुचारु रूप से संचालन किये जाने तथा परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था पर सतत निगरानी/निरीक्षण एवं नकल की रोकथाम किये जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक-05 की कण्डिका-07 (1) के प्रावधानानुसार निम्नानुसार उड़नदस्ता दल का गठन अग्रिम आदेश तक के लिये किया जाता है -

विश्वविद्यालय उड़नदस्ता दल क्रमांक -04 (गहिला विंग)

01	डॉ. (श्रीमती) तृप्ति विश्वास सहायक प्राध्यापक, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	समन्वयक
02	प्रेमलता एक्का सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली	सदस्य
03	श्रीमती अलमा मिज सहायक प्राध्यापक, होली क्रॉस वूमैन्स कालेज, अम्बिकापुर	सदस्य

उड़नदस्ता दलों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करें। सभी उड़नदस्ता दल माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव के दिशा निर्देशन पर कार्य करेंगे तथा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्ता दल क्रमांक - 04 शाम को प्रतिदिन की रिपोर्ट कुलसचिव के पास प्रस्तुत करेंगे।

सदस्यों को मुख्यालय से बाहर जाने पर नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

(बिनोद कुमार एक्का)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक- 692 / परीक्षा / ई-08 / 2019
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक, 12/03/2019

- कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, जिला-सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
- उड़नदस्ता दलों के समन्वयक/सदस्यों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय, की ओर अग्रोपित कर लेख है कि सम्बन्धित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करें।
- प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, समस्त विश्वविद्यालयीन परीक्षा केन्द्र।
- सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गोपनीय/परीक्षा/वित्त विभाग/जन सम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के सूचनार्थ।
- संबन्धित नस्ती।

D:\dondasta-26



सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
जि. 2019



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (शाश्वत) अधिनियम 16/2006 द्वारा स्थापित)

E-mail ID:- registrar@sgu@yahoo.co.in

Phone :- 07774-222789, 90

Fax :- 07774-222791

क्रमांक 774/गोपनीय/के.मू./2019

अम्बिकापुर, दिनांक 22/09/2019

प्रति,

डॉ० प्रेमलता सुब्बा
अर्थशास्त्र विभाग

शासक महाविद्यालय सिलफिली, सूरसपुर

विषय- परीक्षक के रूप में नियुक्ति।

Mobile No

8435675267

विषयान्तर्गत सूचित है कि आपको विश्वविद्यालय पूरक परीक्षा 2019 की **Economics** विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने हेतु परीक्षक नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पं. दीनदयाल उपाध्याय सभा कक्ष में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 05.00 बजे अपरान्ह तक सम्पन्न होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक 27 to 30 September-2019 को नियत स्थान पर उपस्थित होकर मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करने का कष्ट करें। मूल्यांकन कार्य हेतु आपको नियमानुसार स्थानीय वाहन भत्ता/यात्रा भत्ता तथा पारिश्रमिक देयक का गुप्ततान मूल्यांकन समाप्ति के पश्चात् चेक द्वारा किया जायगा। यह भी सूचित है कि मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका तुरन्त वापस कर दें। इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।

(डॉ० अनिल कुमार सिन्हा)

समन्वयक

संपर्क नं. 09826305014

पृ.क्रमांक 774/गोपनीय/के.मू./2019

अम्बिकापुर, दिनांक 22/09/2019

प्रतिलिपि - प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर अनुरोध है कि सम्बन्धित शिक्षक को मूल्यांकन कार्य में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये इस कार्य में सहयोग करने का कष्ट करें।



समन्वयक

25 अक्टूबर 2019
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (उ.ग.)

C-19

गोपनीय

(उ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित

E-mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Dr. Pramila Ekka
Asstt Professor Economics
Govt. College, Solankhi
जिला - अम्बिकापुर

- प्रिय परीक्षक महोदय,
- उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक..... H-106/0 की 125 उत्तरपुस्तिकाओं के C19
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ
सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के
ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो।
समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।
उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-
1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस
तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister,
Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
 2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से
विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस
करने की कार्यवाही करें।
 4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक
देयक का भुगतान किया जायेगा।
 5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में
बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता
आवश्यक रूप से लिखा जाए।
 6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका
स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक
आबंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
 7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
 8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
 9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को ड्राकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
 10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः
सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
 11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें,
किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
 12. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
 13. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष
कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/सम्बन्धक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (उ.ग.)

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

C-01

गोपनीय

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय 07774-222790
गोपनीय विभाग 07774-222789
फैक्स 07774-222790

प्रेषक

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोड नं. 11-106

सेवा में,

Dr. Premalata Chakraborty
Department of Economics
B.A. College, Bilaspur

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

1. सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2015..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है।
निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।

- (क) परीक्षा का नाम B.A. (Pass. S. Ex.) Major in Economics, 2015.....
(ख) विषय का नाम Economics.....
(ग) प्रश्न पत्र J.C. Statistical Methods.....
(घ) समय-तीन घण्टे.....
(ङ) पूर्णांक 75..... न्यूनतम उत्तीर्णांक 25.....

2. इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक है। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।

3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।

4. परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।

5. भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।

6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(कृ.प.उ.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19
गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (सरगुजा) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित
E. mail ID - registrar@svyasa.ac.in Phone - 07774-222789, 90 Fax - 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Dr. Ramlata Ekka
Asstt. Professor Economics
Gyan College, Silkhahi
निवास - अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको कोड क्रमांक H-63/C3 की 311 उत्तरपुस्तिकाओं के CNE बण्डल पैकेट लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के साथ दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समूह पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जाएगा। कृपया प्रश्नपत्र मेंटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएं प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएं जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आवंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेंजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

01/05/2019

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.ग.)

(उ.ग.) विश्वविद्यालय (सरगुजा) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित।

E-Mail ID: registrar_sua@yahoo.co.in

Phone: 07774 222789/90

Fax: 07774 222701

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

पति.

Smt. Arjana
Diploma in English
Govt. College, Sirahili

श्री परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक D-228/01 की 201+92=293 उत्तरपुस्तिकाओं के 04+01=05 बण्डल पैकेट लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाया प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवाये/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।

किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (उ.ग.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(सं.प. विश्वविद्यालय (संघीय) अधिनियम 10/2008 द्वारा स्थापित)

Email: registrar@vaid.org.in Phone: 07774 222789, Fax: 07774 222791

कक्षांक 09/1/2019/अम्बिकापुर/सं.प.सं.प.11/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 01/09/2019

अधिसूचना

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में कक्षा सञ्चालनार्थ अग्रणी विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (सर्वोद्योगीन) निम्नानुसार किया जाता है:

23(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राच्यरत्न केंद्रों के प्राचार्य कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) डॉ. राजकमल मिश्र
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अग्रणी विभाग
शासकीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(2) कु. रिजवाना खानुम
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अग्रणी विभाग
शासकीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जयपुरनगर जिला- जयपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राच्यरत्न केंद्रों में से एक उपाचार्य कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे -

(1) श्रीमती अजना
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अग्रणी विभाग
शासकीय शासकीय महाविद्यालय, सिविलिकली
जिला- सुरजपुर (छ.ग.)

(2) शीला खेत
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अग्रणी विभाग
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
शीतापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)



[Handwritten signature]

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) डॉ. जेवियर कुजूर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग
शाराकीय विज्ञान महाविद्यालय, केशवपुर
अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. एस. एन. पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
राजीव गांधी शाराकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छ.) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।

(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिराके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जायेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा डॉ. राजकमल मिश्र, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, राजीव गांधी शाराकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पु. क्रमांक: 694/अकादमिक/अ.ग./अंग्रेजी/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 07/09/2019

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, कला संकाय, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।



सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SARGUJA VISHWAVIDYALAYA, AMBIKAPUR (C.G.)



From:

(Registered)

CODE No. Geog-II

Registrar
Sarguja Vishwa Vidyalaya,
Ambikapur (C.G.) 497001

To,

Mr. Sandeep Soni
Asstt. Prof. Geography
Govt. College, Shilpluti
Dist. Surajpur (C.G.)

No. /Conf./Pract./2018

Date: 29.06.2018

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2018 in Geography at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.A. Part- I,II,III	Govt. Naveen College, Odgi Dist. Surajpur (C.G.)	All	To be appointed by the Principal

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 05.07.2018.

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's faithfully

Sd/-
Registrar

Date: 29.06.2018

Encl. No. 2653/Conf./Pract./2018

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Naveen College, Odgi Dist. Surajpur (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.
3. The appointment of previous Examiner may please be treated cancelled as he/she has refused to conduct the practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate
Envelopes for sending Fools/Counter Fools of Marks.

Accepted
OSD (Confidential)



REDMI NOTE 7 PRO
48MP DUAL CAMERA





सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राशनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दस्तावेज क्रमांक विश्वविद्यालय
कार्यालय 07774 222790
गोपनीय विभाग 07774 222789
फैक्स 07774 222790

प्रेषक

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक

कागज़ नं. 11/1019

सम्बन्ध में,

Smt. Anjama Mij
Department of English
Govt College, Sifli

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक

- 1 सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019 की परीक्षा के प्राशनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निर्णय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम Shestari C.Pas & M. Main Examination, 2019
(ख) विषय का नाम Shastri
(ग) प्रश्न पत्र Foundation Course Paper - D. English Language
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25
- 2 इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशनिक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- 3 नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक समाह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- 4 परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- 5 भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- 6 यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(क.प.उ.)

प्राश्निकों से विशेष अनुरोध है कि वे निर्मातलिखित मावधानी बनें-

- (क) प्रश्नपत्रों में जीर्ण टिप्पणियों तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधाजनक न हो।
- (ख) कोई प्रश्न निहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
- (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
- (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दे।

प्रश्न पत्र दिनांक तक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।

यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देने हुए सम्बन्धित मामूली तुम्हें वापस कर दें।

The term close relation includes Wife Husband Son Daughter Grandson Grand Daughter, Brother Niece Grandnephew, Grandniece Aunt First cousin Son-in-law Daughter-in-law, Sister-in-law etc


प्रश्नपत्र भेजने समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिगत सील बन्द किया जाय। जो प्रच्छद (लिफाफे) उस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

यदि आप नियमानुसार प्रश्न पत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देने हुए सम्बन्धित मामूली वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त करें।

स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।

आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय


कुलमंचिव

संलग्न सामग्री :

1. प्राश्निक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होगी) प्रत्येक पर्णावली में 1" क " पन्ना " ख " पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र।
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाण-पत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राश्निकों के लिए)
9. प्रश्न पत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

- नोट -
1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।
 2. यदि सर्वाधिक प्रश्नपत्र से सम्बंधित उक्त पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राश्निक को प्रश्न पत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है। अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।
 3. सम्स्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
 4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाईल नं. 9406034527 कुलमंचिव या 9424668364 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)

From:

CODE No. P-Geog.-33

Registrar
SantGahira Guru Vishwavidyalaya,
Ambikapur (C.G.) 497001

To,

Mr. Sandeep Soni
Asstt. Professor Geography
Govt. College, Sijilphill
Dist. Surajpur (C.G.)
Mo. 9826190402

Date: 29.03.2019

No. /Conf./Pract./2019

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2019 in Geography at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.A. Part-I, II, III	Govt. Naveen College, Odgi Dist. Surajpur (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 05.04.2019

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

Sd
Registrar

Date: 29.03.2019

Encl. No. 4074/Conf./Pract./2019

1. Copy forwarded to :-
2. The Head Govt. Naveen College, Odgi Dist. Surajpur (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
- Envelopes for sending Foils Counter Foils of Marks.

A. K. Soni
29.3.19
OSD (Confidential)



REDMI NOTE 7 PRO
48MP DUAL CAMERA

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बतौली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
Mo.No.9752625435

Email-govtcollegbatouli@gmail.com

क्रमांक 280/परीक्षा/2019

बतौली दिनांक 21.02.2019


प्रति:

श्री संदीप कुमार सोनी,
शासकीय महाविद्यालय,
सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2019 प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्ति बाबत।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षा विषय भूगोल कक्षा बी.ए. भाग-एक सत्र 2019 हेतु बाह्य परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 22.02.2019 को निर्धारित तिथि पर आयोजित किया गया है। निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर परीक्षा संचालन करने की कृपा करें।


PRINCIPAL
Govt. College Batouli
Distt. - Surguja (C.G.)

बतौली, दिनांक 01.02.2019

पृ.क्र. /परीक्षा/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)।
2. कुल सचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर।


PRINCIPAL
Govt. College Batouli
Distt. - Surguja (C.G.)



REGIMNODER BARO
48MPOUVALCAMBRK

कायलिय प्राचार्य, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाडफनगर
जिला बलसामपुर (छ.ग.)

11/03/2019

वाडफनगर दिनांक 11/03/2019

// आदेश //

श्री सदीप कुमार सोनी
सहायक प्राध्यापक (भूगोल)
शासकीय महाविद्यालय सिलफली

विषय- भूगोल प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के संबंध में।

संदर्भ- विश्वविद्यालय से दूरभाष से प्राप्त वार्ता के अनुसार।

विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय से दूरभाष से प्राप्त वार्ता के अनुसार आपको शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाडफनगर में भूगोल प्रायोगिक परीक्षा कीर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए बाह्य परीक्षा नियुक्त किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को प्रातः 9:00 बजे पहुंच कर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करावे।



प्राचार्य

शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाडफनगर
जिला बलसामपुर (छ.ग.)

CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)



CODE No. P-BOT-64

From:

Registrar
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,
Ambikapur (C.G.) 497001

To,

Smt. Shalini Shanta Kujur
Asstt. Professor Botany
Govt. College, Silphili
Dist. Surajpur (C.G.)
Mo. 9926101828

Date: 01.02.2019

No. 997 /Conf./Pract./2019

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2019 in Botany at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:


Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part-I,II,III	Govt. Girls College, Baikunthpur Dist. Korca (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 28.02.2019

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully


Registrar

Date: 01.02.2019

Entd. No. /Conf./Pract./2019

1. Copy forwarded to :-
2. The Head Govt. Girls College, Baikunthpur Dist. Korca (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.



OSD (Confidential)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती गवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 1 / 2018

क्रमांक 1545 /315/आउशि/समन्वय/2018:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजमवन के पत्र क्रमांक एफ 14-11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्य के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. चागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धरपाली 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धारामा



अपेक्षित है
राज्य वनांक 71
जानक पर वनांक 71

<p>34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ.एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर 4. श्री अमित सिंह वनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
<p>34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि</p>	<p>संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर</p>

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (उ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक 11 / 11 / 2018

पृ.क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबन्धित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबन्धित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबन्धित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (उ.ग.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (उ.प्र.)

C-01

गोपनीय

प्राशिनक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,
सरगुजा, अम्बिकापुर (उ.प्र.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

अनुक्रमांक.....

कोड नं. C-6511

सेवा में,

Dr. Amit Singh Banafar
Dept. of Zoology
Green College
SOI PHIL (C-4)

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019..... की परीक्षा के प्राशिनक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निम्न प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम M.Sc. I Semester Examination-2019
(ख) विषय का नाम Zoology
(ग) प्रश्न पत्र Systematics Biodiversity and Evolution
(घ) समय-तीन घण्टे 1
(ङ) पूर्णांक 70 न्यूनतम उत्तीर्णांक.....
इस प्रश्न पत्र के लिए दो/तीन प्राशिनक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पुरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिह्नित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्न पत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपकी स्वीकार नहीं है तथा शैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागिरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागिरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपको नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्न पत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की तुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं हाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (उ.प्र.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाये। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्न पत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)



Scanned by CamScanner

1.1.3

2018-19

संत गहिना गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19
संख्या

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (सरगुजा) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित।
E-mail ID: registrar@svu.ac.in Phone: +917774-222789, 90 Fax: +917774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

पति,

Mr. Ashish Kaurhik
Dafing Committee
Gandhinagar
Sarguja

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक L-298 का 9 उत्तरपुस्तिकाओं के 28 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन का पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जाएगा। कृपया प्रश्नपत्र मेंटिंग का किन अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया उन तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की गयी (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
5. प्रत्येक केंद्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तियों को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अंक होने पर हमका स्पष्ट अंकन उक्त केंद्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केंद्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमिक आयोजित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तिके केंद्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केंद्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाफेंट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गौपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दृशा में परीक्षक स्वतः शिमेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके रूप U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किन्तु भी दृशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
13. सम्पन्न परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अद्यावत् दृशा निर्धारित होगी।
14. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में सततसंचय या 07774-222789 तथा 94146-68364 में किम्प कर्तव्यस्थ अधिकारी (गौपनीय) से संपर्क करें।



कृपया देव, परमेश्वर
संत गहिना गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

1113

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राशिनिक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790



प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोडनं. 14-11145

सेवा में,

श्री. जी.के. शिवाजी
प्राशिनिक विभाग
सरगुजा विश्वविद्यालय
अम्बिकापुर

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

6525854
769

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019..... की परीक्षा के प्राशिनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम ... M.A. (Final) ... Examination ... 2019
(ख) विषय का नाम ... Political Science
(ग) प्रश्न पत्र ... Optional ... of Foreign Policy & Major Powers in
(घ) समय-तीन घण्टे ... The Third World in the
(ङ) पूर्णांक ... 100 ... न्यूनतम उत्तीर्णांक ... 36
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशिनिक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक है। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर चार्जिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(कृ.प.उ.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

सेवा में,

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोडनं..... 1145

सेवा में,

.....
.....
.....
.....

652585
969

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम ... M.A. (Female) main Examination, 2019.....
(ख) विषय का नाम ... Political Science.....
(ग) प्रश्न पत्र ... Optional: Current Affairs & Foreign Policy of India.....
(घ) समय-तीन घण्टे The Third World in the 21st Century.....
(ङ) पूर्णांक 100..... न्यूनतम उत्तीर्णांक..... 36.....
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर चार्जिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उच्च पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उच्च पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लांकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(कृ.प.उ.)

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोडनं.....

सेवा में,

डॉ. बी. के. प्रियादी
पाठ्यपत्र शास्त्रीय विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, दिल्ली

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

1. सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम M.H. (Final) Main Examination, 2019.....
(ख) विषय का नाम Political Science.....
(ग) प्रश्न पत्र (Public Administration & Research Methodology).
(घ) समय-तीन घण्टे.....
(ङ) पूर्णांक..... न्यूनतम उत्तीर्णांक.....
2. इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, प्रक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
4. परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
5. भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(कृ.प.उ.)

SESSION

2019-20



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

2019-20

गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित
E-mail ID:- registrarsun@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Dr. Ajay Kumar Tiwari
Department of Hindi
Mona College Bilhela

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक JN-02/01 की 254 उत्तरपुस्तिकाओं के 01 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक-सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत व उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sis Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ करने की कार्यवाही करें।
- पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
- प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांको को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल वांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व आवश्यक रूप से लिखा जाए।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुबन्धित आवंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
- तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
- प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को ड्राफ्ट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
- पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया सम्पादित किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
- अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
- समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।

प्राप्त किया

- उपर्युक्त कोड क्रमांक तथा संख्या में मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का सीलबंद बण्डल
- उपर्युक्त कोड क्रमांक के पूर्ण तथा प्रतिपूर्ण का सीलबंद लिफाफा

कुलसचिव/समन्वयक

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)



31/8/2020



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail JD:- registrarsua@yahoo.co.in

Phono:- 07774-222789,90

.Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Smt. Shalini Shanka, Xujar
Asstt. Professor Botany
Govt. College, Siljharia
Dist - Surguja (C.G.)

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक SG-247 की 35 उत्तरपुस्तिकाओं के one बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निवृत्त संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निवृत्त संबंधी का आशय निम्नानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son In law, Daughter In law, Brother in law etc.
2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तकों का अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवाये/पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तकों केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
8. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांक एवं अनचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
10. पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
12. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
13. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कूलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



Alstiani
कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone :- 07774-222789, 90 Fax :- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Shri. B.L. Kanwar

Asstt. Professor Commerce

Govt. College, Sitohli

तैयार - अजैन्द्र गढ़ रोड, रावत रेसिडेन्सी के आगे, अम्बिकापुर

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक..... H-300/07 की 183 उत्तरपुस्तिकाओं के One
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नाद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 2. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
- पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
- प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांको को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकायें जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आबंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं। तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
- प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
- पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेंजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
- समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलसचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



Deewan
कुलसचिव/समन्वयक
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.co.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक: ७३३ / अकादमिक / अ.म. / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक ४ / 10 / 2019

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में वाणिज्य संकायांतर्गत व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंध विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) कोई नहीं

(2) कोई नहीं

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(५) श्री भारत लाल कँवर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कोई नहीं

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री सैयद साबिर अली
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
होली क्रास वूमन्स कॉलेज,
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. जसप्रीत कौर
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय,
डिगमा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।



क्रमांक: 02

ACS

(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्री भारत लाल कँवर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (चार) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

अम्बिकापुर, दिनांक 18/10/2019

पृ. क्रमांक: 934/ अकादमिक/ अ.म./ 2019
प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।




सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
All

सर्वोच्च, प्राचार्य शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय

सीतापुर, जिला -सुरजुजा (छ.ग.)

दिनांक 12/08/2019

सीतापुर, दिनांक 12/08/19

प्रति,
सा. ग. वि. म. गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर
जिला-सुरजुजा (छ.ग.)

Dissertation के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त करने के संबंध में ।

विश्रान्तगत लेख है कि, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में एम. ए. डिग्री के लिए डॉ. एन. पी. पांडे, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र महाविद्यालय सीतापुर को आपके द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त किया गया है। परन्तु उनके इसी कारणवश आने में असहमति जाताई गई है।

अतः उक्त संबंध में उनके स्थान पर डॉ. प्रमलता एका, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली जिला-सुरजुजा (छ.ग.) बाह्य परीक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव है। ताकि समय रहते परीक्षा संचालित किया जा सके।



Dr. G. P. Singh
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. S. P. M. College SITAPUR
Distt - Surguja (C.G.)



संत गहिया गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

संत गहिया गुरु विश्वविद्यालय (संस्थापक) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित।
 Email: saragujavishwavidyalaya@gmail.com Phone: - 07774-222789, Fax: 07774-222791

संख्या 87 प्रशासनिक/अ.न. सर्वशास्त्र 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 21.09.2019

अधिसूचना

संत गहिया गुरु विश्वविद्यालय (संस्थापक) अधिनियम 18/2008 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिया गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में समाज विज्ञान सकार्यातर्गत अर्थशास्त्र विषय के लिए अध्ययन के लिए नए विद्यार्थियों (समावेशार्थी) निम्नानुसार भिन्न-जाता है।

28 (2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों के अध्यापकों को कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(1) कु. रजनी सेठिया
 सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
 शासकीय लाहिडी महाविद्यालय,
 चिरमिरी जिला - कोरिया (छ.ग.)

(2) डॉ. (श्रीमती) क्लेमेंसिया टोप्पो
 सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
 शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
 सीतापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों में से एक उपाचार्य को कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(1) डॉ. प्रेमलता एक्का
 सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
 शासकीय महाविद्यालय,
 चिरमिरी जिला सरगुजा (छ.ग.)

(2) कु. रश्मि पाण्डेय
 सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
 अरुण प्रताप सिंह शासकीय महाविद्यालय,
 शकरगढ जिला बलरामपुर-समानुजगंज (छ.ग.)

प्रस्ताव: 02



(पाच) ... अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कि

डॉ (श्रीमती) किरण श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
श्री साहू बाबा आदर्श महाविद्यालय,
डिगना अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ रंजना नीलिमा कच्छप
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
सहायक कुलपति महाविद्यालय
सहायक कुलपति महाविद्यालय

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।

(सात) ... सहयोगित किये जायेंगे उनमें से एक उस विषय ...

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.3) कुलपति जी द्वारा डॉ (श्रीमती) क्रेसेंसिया टोप्पो, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सांतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिसूचना की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रकाशित होने के 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

G. S. ...

कुलसचिव

क्रमांक: 808/ अकादमिक/ अ.म./ अर्थशास्त्र/ 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 21/09/2019
प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण
3. सहायाध्यक्ष कला संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण विभाग संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव विश्व कल्याण अधिकारी परीक्षा/ गोपनीय/ वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. सहायक कुलसचिव विश्व कल्याण अधिकारी परीक्षा/ गोपनीय/ वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
8. सहायक कुलसचिव विश्व कल्याण अधिकारी परीक्षा/ गोपनीय/ वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

M. S. ...

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



10/07/2020



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

गोपनीय

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E mail ID - registrarsua@yahoo.co.in Phone - 07774-222789, 90 Fax - 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Smt. Anjana

Department of English

Govt. College

Suphali

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक..... H-168/5 की 321 उत्तरपुस्तिकाओं के..... 01
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेंटिंग का ध्यान अलग से प्रस्तुत करें।
उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्बन्धित हुआ है तो कृपया उस नध्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
 2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 3. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
 4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
 5. प्रत्येक केंद्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांको को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं उम्मीद में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
 6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकायें जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केंद्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केंद्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आवंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केंद्रवार अन्त में अंकित करें।
 7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
 8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
 9. प्रत्येक केंद्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
 10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादि किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
 11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयवधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
 12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेंजे, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
 13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया सोवाडल नं. 94060-34527 में कुलमचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



कुलमचिव/समन्वयक

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-61

गोपनीय

प्राशिनक एवं परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय,
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक..... कोड नं. 7/119

संता में,

Smt. Anjana Bhagat
Department of English
Block: College, Siliguri

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....


- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2020..... की परीक्षा के प्राशिनक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निर्देश-प्रश्न-पत्र का चिह्न निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम... Shastri (Co-9 T) Main Examination, 2020
(ख) विषय का नाम... Foundation Course
(ग) प्रश्न पत्र... P. C. English Language
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक... 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक... 25
- इस प्रश्न पत्र के लिए दो/तीन प्राशिनक नियुक्त किये जाते हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपयुक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हैं तो कृपया समयसम संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाते हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने चौष्टकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागिरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागिरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुरिताओं का परीक्षण करना होगा। आपको नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्न पत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर गुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र का मूल प्रति भजी जाये। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्न पत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।



(क.प.उ.)

7. प्राश्निकों से विशेष अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित मापदण्डों का पालन करें।
- (क) प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की संख्याओं तथा पत्रों की परिभाषा अपेक्षा से विचलित न हो।
 - (ख) कोई प्रश्न निहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की विधि मुख्यतः पारिभाषित शब्दावली में तथा सूचना हो।
 - (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के समान हो।
 - (घ) परीक्षार्थियों को क्लिप्त और कठिन प्रश्न पत्र न दें।
8. प्रश्न पत्र दिनांक 12.10.2020 तक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।
9. यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राश्निक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।
- The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grandson, Grand Daughter, Brother, Niece, Grandnephew, Grandniece, Aunt, First cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Sister-in-law etc.
10. प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को किञ्चित् मील बन्द किया जाय। जो एकदम (लिफाफे) इस प्रकार मील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. यदि आप नियमानुसार प्रश्न पत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्न पत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त कर लें।
12. स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।
13. आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय में सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमिक के द्वारा घेरे पत्र पर करें।

भवदीय


कुलसचिव

संलग्न सामग्री :

1. प्राश्निक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्न पत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होंगी) प्रत्येक पर्णावली में 1 "क" पन्ना 9 "ख" पन्ने होंगे।
5. स्वीकृति प्रपत्र।
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाण-पत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राश्निकों के लिए)
9. प्रश्न पत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

नोट -

1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमिक के द्वारा ही करें।
2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राश्निक को प्रश्न पत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है।
अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।
3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाईल नं. 9406034527 कुलसचिव या 9406034527 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।





कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)
Ph. : 07836- 232252, E-mail. pgcollege.bkp@gmail.com

क्रमांक / 581 / प्रा0प0 / 2020

बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/02/2020

प्रति,

श्री संदीप कुमार सोनी,
सहायक प्राध्यापक- भूगोल,
शासकीय महाविद्यालय सिलफिली,
जिला-सूरजपुर छ.ग.

विषय :- प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के संबंध में।

—000—

लेख है कि शास0 रामा0 प्रताप सिंहदेव स्नात0 महावि0 बैकुण्ठपुर में बी0 ए0 माग-
एक, दो भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु आपकी नियुक्ति बाह्य परीक्षक के
रूप में की गई है। प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 23 फरवरी 2020 की तिथि निर्धारित
की गई है।

अतः आप उक्त तिथि को प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने का कष्ट करें।




शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर
कोरिया (छ.ग.)



Scanned with
CamScanner

CONFIDENTIAL

SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)

REGISTERED / SPEED POST



From:

Registrar
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,
Sarguja (C.G.) - 497001

CODE No. P-22

To:

Mr. Sandeep Kumar Soni
Asstt. Professor Geography
Govt. College, Shilphili
Dist. Surajpur (C.G.)
Mo. 9826190402

No. 8981/Conf./Pract./2019

Date: 04.10.2019

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Supplementary Examination 2019 in Geography at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.A. Part-I, II, III	Govt. Ramanuj Pratap Singh Deo P.G. College, Baikunthpur Dist. Korea (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 10.10.2019

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

Registrar

Date: 04.10.2019

Encl. No. /Conf./Pract./2019

1. Copy forwarded to :-
2. The Head Department of Govt. Ramanuj Pratap Singh Deo P.G. College, Baikunthpur Dist. Korea (C.G.) for information and necessary action. He/She is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Folds/Counter Folds of Marks.

OSD (Confidential)



REDMI NOTE 7 PRO
48MP DUAL CAMERA



CONFIDENTIAL

REGISTERED / SPEED POST

SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA (C.G.)



From:

CODE No. P-B-06

Registrar
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,
Surguja (C.G.) 497001

To,

Smt. Shalini Shanta Kujur
Asstt. Professor Botany
Govt. College, Silphill
Dist. Surgapur (C.G.)
Mob. No.- 9926101828

Date: 17.01.2020

No. 1166 /Conf./Pract./2020

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination 2020 in Botany at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
B.Sc. Part-III	Govt. Rajmohini Devi Girls P.G. College, Ambikapur Dist. Surguja (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 20.02.2020

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully


Registrar

Date: 17.01.2020

Entd. No. /Conf./Pract./2020

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Rajmohini Devi Girls P.G. College, Ambikapur Dist. Surguja (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.

OSD (Confidential)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 4 / 2018

क्रमांक 1545 / 315 / आउशि / समन्वय / 2018:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14-11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, थरपाली 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, थारामा



अभिलेखित है
नगर उसके नाम
जिस पर उसके नाम

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ. एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह बनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक 11/11/2018

पृ.क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

Form No. C-1

Code No. US-2002192
(Confidential)

K. GOVT. ARTS & SC. (AUTO) COLLEGE
RAIGARH [C.G.]

(An autonomous college affiliated with Bilaspur Vishwavidyalaya, Bilaspur)

No. Ex/c _____

Raigarh Dated 22/02 2020

To, Prof Amit Banarjee
Head, Dept of Zoology
Govt College SILFILL

Dear Sir/Madam, Balsampur (C.G.)

I am directed to inform you that the K. Govt. Arts & Sc. (Auto) College, Raigarh has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuers for evaluation of answer scripts of the _____
B.Sc II sem. Paper _____ carrying 60 Marks
of the _____ Examination 2020

- 2- The written part of the examination will commence on _____ and it is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers of the subject as per list given below.
- 3- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form on or before _____. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the Papers sent herewith may please be returned with your reply.
- 4- It is requested that one question paper be prepared in accordance with the enclosed syllabus for all P.G. classes. It may kindly be noted that English Version of each question is to be given immediately below the Hindi Version in all papers of M.A. and M.Sc. classes except M.A. classes of Hindi and English.
The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through Registered Post duly insured for Rs.100/- In double sealed covers [sent herewith] duly sealed at both the ends, within 5 days of this letter to the undersigned by the name.
- 5- You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE : Special attention is invited to the following :-

[a] If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered; he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.

[b] The question paper in Mathematics should be sent alongwith its solution and the copy should be attached alongwith the question paper and kept in cover marked original.

[c] The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen in the appendix attached.

Mob. No. -9993401017

Yours faithfully,
[Signature]
CONTROLLER

Enclosures :-

- 1- Form of acceptance (C-3) with a cover marked [Acceptance]
- 2- Instructions for paper setters and appendix for the remunerations.
- 3- Syllabus prescribed for the paper.
- 4- Question paper of the last year.
- 5- Blank paper for writing the question paper.
- 6- Covers for sending the question paper.

NOTE :- Please refer to the instruction attached here before you set the paper.



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-19

नोपकरण

(छ.ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774 222789, 90 Fax - 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

पति.

Mr. Ashish Kausik

Dept. of Commerce

Govt. College

Safli

प्रिय परीक्षक महोदय,

H-298

232

07

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक.....01..... की232..... उत्तरपुस्तिकाओं के.....07..... वण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ मात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के वण्डल के पर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा वण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर नगद भुगतान किया जायेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का विल अलग से प्रस्तुत करें। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश :-

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के वण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय नियमानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grand Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.
 2. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 3. यदि वण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
 4. पारिश्रमिक देयक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जायेगा।
 5. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों को अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही वण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के वण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
 6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आवंटित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
 7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
 8. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
 9. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
 10. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
 11. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का वण्डल यदि समयवधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
 12. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट लग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
 13. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 94060-34527 में कुलमचिव या 07774-222789 तथा 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

कुलसचिव/समन्वयक

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)